

27/05/26 पत्रावली काज पेश हुई वादी व उनके वकील
अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक
कर तीन बार सावाजे लगाई गईं गवर्नर
वादीगण व उनके वकील गैर हाजिर
रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवं
अडम पेखी में धारिज की जाती है।
पत्रावली केसल सुमार होकर दार्जिले
दफ्तर ही एवं मंबर से कम है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन